"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157] रायपुर, सोमवार दिनांक 2 जुलाई 2012—आषाढ़ 11, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 66/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/827.—दिनांक 2 जुलाई, 2012 को नगर पंचायत जरही, जिला-सरगुजा (छ.ग.) के 01 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

अनिल कुमार शर्मा,
अवर सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-49/रानिआ/नं.पा./व्यय लेखा-2010

रागिनी ध्रुव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, जरही, जिला-सरगुजा, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 2 जुलाई 2012

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सरगुजा के प्रतिवेदन दिनांक 4 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत जरही के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 8 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सरगुजा ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत जरही के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी रागिनी ध्रुव द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्धारित अवधि अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सरगुजा के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली अभ्यर्थी रागिनी ध्रुव को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी रागिनी ध्रुव को सम्यक् रूप से दिनांक 30 अगस्त 2011 को तामील की गई. अभ्यर्थी रागिनी ध्रुव को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् उसके द्वारा अपना जवाब दिनांक 25 मार्च 2010 को आयोग को प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संदर्भ में कार्यालय द्वारा पता चला कि जिस अभ्यर्थी की जमानत जप्त हो चुकी है उनका निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है. इस प्रकार जानकारी होने पर उनके द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु वे समस्त व्यय के व्हाउचर्स लेकर निर्धारित तिथि के पूर्व प्रस्तुत हुई थी. उनके द्वारा जवाब के साथ व्यय के समस्त व्हाउचर्स की मूल कापी एवं शपथ पत्र संलग्न करते हुए उन्हें निरर्हित घोषित किये जाने की कार्यवाही को निरस्त करने का आग्रह किया गया. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सरगुजा का अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सरगुजा ने पत्र क्रमांक 56/स्था. निर्वा./2012 दिनांक 20 मार्च 2012 के द्वारा अभिमत दिया कि रागिनी ध्रुव द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया जाकर दिनांक 25 मार्च 2010 को विलम्ब से सीधे राज्य निर्वाचन आयोग में जमा किया गया है. अत: अभ्यर्थी रागिनी ध्रुव को निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करने के कारण निरर्हित घोषित किया जा सकता है. इस पर अभ्यर्थी को आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आयोग के सूचना पत्र दिनांक 29 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2012 को सुनवाई हेतु आहुत किया गया. उस सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 6 फरवरी 2012 को तामील की गई. अभ्यर्थी सूचना उपरान्त सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 8 फरवरी 2012 को अनुपस्थित रहीं. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है; उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सरगुजा के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सरगुजा ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी रागिनी ध्रुव ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है.. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है.. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"धारा 32-क. (1) **अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सरगुजा के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी के जवाब तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत जरही के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी रागिनी ध्रुव ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहुत किये जाने पर निर्धारित दिनांक को उपस्थित हुई. उन्होंने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा पता चला कि जिस अभ्यर्थी की जमानत जप्त हो चुकी है उनका निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है. इस प्रकार जानकारी होने पर उनके द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु वे समस्त व्यय के व्हाउचर्स लेकर निर्धारित तिथि के पूर्व प्रस्तुत हुई थी. लेकिन अभ्यर्थी ने अपने जवाब में यह उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने किस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया था. अभ्यर्थी ने यह दलील प्रस्तुत की है कि ऐसे अभ्यर्थी के लिए, जिनकी जमानत जप्त हो चुकी है, निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होना उन्हें बताया गया है. अभ्यर्थी की इस दलील का कोई कानूनी आधार होना प्रतीत नहीं होता. अभ्यर्थी के उक्त जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सरगुजा ने अपने पत्र क्रमांक 56/स्था.निर्वा./2012, दिनांक 20 मार्च 2012 के द्वारा अभिमत दिया कि रागिनी ध्रुव द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया जाकर दिनांक 25 मार्च 2010 को विलम्ब से सीधे राज्य निर्वाचन आयोग में जमा किया गया है. निर्वाचन व्यय लेखा के साथ संलग्न शपथ पत्र दिनांक 17 मार्च 2010 को निष्पादित कराया गया है. इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि अभ्यर्थी रागिनी ध्रुव द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से नियत अवधि में निष्पादित ही नहीं किया गया. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी रागिनी ध्रुव प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी रागिनी ध्रुव को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. **यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 2 जुलाई 2012 को जारी किया गया.**

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.